



605/1

दूरभाष - 2286709  
2286710

नव बेलना कन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : ५०१३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६  
सेवा में,

दिनांक ३। मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-महाराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
एव०८०४०४०८०८०८० बैंक	19091450000036	II SC Code HDI C0001909	207.057 (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	हितीय क्षेत्र की धनराशि का प्रेषण
1	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवां	वाड़ न० १४ गौतमबुद्ध नगर नहर राड से फूदर आलग के घर के पीछे होते हुए रमजान अली के घर के पीछे होते हुए अहमद अली के घर के आगे तक नाला निर्माण कार्य।	22.072
2	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवां	वाड़ न० २३ म० २३ लोहिया नगर मे श्री नरीम के घर से पी०डब्ल्य०ली० रोड तक मय गलियों सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.909
3	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवां	वाड़ न० १७ म० २३ राहुल नगर मे श्री श्री पुलिया से होते हुए अब्दुल हक का घर होते हुए मदरसा आयशा सेद्दकी के घर के आगे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.547
4	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवा	वाड़ न० २३ म० २३ लोहिया नगर मे श्री कारिंग के घर से मुश्ताक आजमी के घर होते हुए आजम के घर तक मय गलियों सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.045
5	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवा	वाड़ न० १३ महेन्द्र नगर मे श्री असाफाक रोख के घर से मुश्ताक के घर होते हुए राहुआ खान के मकान के आगे तरफ दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड मय गलियों सहित निर्माण कार्य।	24.246
6	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवां	वाड़ न० १३ महेन्द्र नगर मे श्री नफीरा अहमद के मकान से चुनू खान के मकान तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड मय गलियों सहित निर्माण कार्य।	38.079
7	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० नौतनवां	वाड़ न० १३ महेन्द्र नगर मे श्री आरिक कुरेशी के मकान से अषहर के मकान तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग गलियों सहित निर्माण कार्य।	35.268
8	महाराजगंज	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० आनन्दनगर	वाड़ न० ०३ विकास नगर मे श्री हर्योहुर रहगान के मकान से श्री गौरीशंकर मालवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	15.923



605/2

दृष्टिगत 2286709  
2286710  
नम बल्ला कंडा, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/गलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
9	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 आनन्दनगर	वाड़ न0 06 सिविल लाईन में श्री अरशद अंसारी के मकान से स्वराज एजेंसी होते हुए श्री अमित गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.983
10	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 आनन्दनगर	वाड़ न0 06 सिविल लाईन में श्री वलराम शर्मा के मकान से मिडिल रकूल फरेन्डा तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.176
11	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 आनन्दनगर	वाड़ न0 11 फत्तुगल टोला में श्री किरमत के मकान से डाठ एराठ कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.129
12	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 आनन्दनगर	वाड़ न0 06 सिविल लाईन में श्री सोनू चौधरी के मकान से श्री उदयभान चौधरी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.680
	योग				207.057

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वसिताओं तथा भालिन वरिएटी में सी0पी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य रुचिविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- उपरोक्त अवमुक्त धनराशि के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वसिताओं तथा भालिन वरिएटी में सी0पी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत 300पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेक्स्टप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य शोत्र रो धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण गुण्डालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाच्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय उत्तरापुरिका के सुसंगत प्राविधिकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राष्ट्रादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुक्ति रख-रखाव में कोई दाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्द्धनों के अनुसार निर्हित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती समन्वय विधिक प्रतिवर्द्धनों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



605/3

दरमाप— 2286709  
2286710

नव चौहानी केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किरी प्रकार का व्ययवर्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी रूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संघुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष हितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं हितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित नियांरित प्रपत्र पर रूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतीतेलिपि : निम्नलिखित को रूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक